रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 298] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 1972/ज्येष्ठ 26, 1894
No. 298] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 1972/JYAISTHA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 16th June 1972

S.O. 432(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 1625, dated the 18th July, 1959, read with the Orders of the Government of India in the late Ministry of Commerce Nos. S.O. 2366, dated the 1st July, 1964, S.O. 1838, dated the 3rd June, 1965, S.O. 2389, dated the 17th July, 1967 and S.O. 2607, dated the 15th July, 1968, and in the late Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) No. S.O. 2839, dated the 11th July, 1969, and the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2377, dated the 14th July, 1970, the management of the industrial undertaking known as the Model Mills Nagpur Limited, Nagpur, had been taken over by the Authorised Controller referred to in the order first mentioned above, for a period up to and inclusive of the 17th July, 1972;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 17th July, 1974.

[No. F.11021/46/72-TEX(G).]

K. KISHORE, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 1972

का० आ० 432 (अ).—यत: भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 2366 दिनांक 1 जुलाई, 1964, का० आ० 1838 दिनांक 3 जून, 1965, का० आ० 2389 दिनांक 17 जुलाई, 1967 तथा का० आ० 2607, दिनांक 15 जुलाई, 1968 तथा भूतपूर्व विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय (विदेशी व्यापार विभाग) के आदेश सं० का० आ० 2839 दिनांक 11 जुलाई, 1969 तथा विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 2377 दिनांक 14 जुलाई, 1970 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 1625 दिनांक 18 जुलाई, 1959 द्वारा माडल मिल्स नागपुर लिमिटेड, नागपुर नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उपरिवर्णित अंतिम आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 17 जुलाई, 1972 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था ।

और यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण 2 वर्ष की आगामी अवधि के लिए बना रहना चाहिए ।

अत: अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपरिवर्णित अंतिम आदेश का प्रभाव 17 जुलाई, 1974 तक की आगामी अवधि के लिए और बना रहेगा ।

[सं० फा० 11021/ 6/72-टैक्स (जी)]

के० किशोर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972